दिल्ली विधान सभा त्रीववालय तमाचार भाग-2

ईविथायी तथा अन्य मामलों ते तंबंधित तामान्य जानकारी हैं मंगलवार, 2 फरवरी, 1999 / माघ 13, 1920 हैशक है

तंबया : 10

तदस्य की नज़रबंदी स्वं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का दिनांक 1. 2. 99 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको तसम्मान तूचित करना है कि दिल्ली विधान तमा के माननीय सदस्य श्री शीएब इकबाल को उनके अन्य तमर्थकों तहित दिल्ली पुलित अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत पृथम बैरिक पुलित थाना संतद मार्ग के तामने ते पुलित के विधि तम्मत् निर्देशों की अवझा करने के कारण दिनांक 31.1.99 को अपराह्न 2.45 बजे नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उनके समर्थकों सहित उती दिन अर्थात् दिनांक ३। १. १९ को अपराह्न ३. ०० बजे, पुलिस थाना संसद मार्ग से रिहा कर दिया गया ।

> पी मन गुप्ता तथिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART - II

(GENERAL INFORMATION RELATING TO LEGISLATIVE & OTHER MATTERS)
Tuesday, February 02,1999/Magh 13, 1920 (Saka)

No. 10

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Dy. Commissioner of Police, New Delhi Distt., New Delhi on 1.2.1999 :-

I have the honour to inform you that Sh. Shoaib

Iqual. Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi

alongwith his sup porters was detaimed under section 65

of Delhi Police Act 1978 for disobeying the lawful

d irection of police at Ist barricade infront of police

station Parliament Street, New Delhi at 2.45 PM on 31.1.99.

He was released alongwith his supporters at 3.00 PM from Police Station, Parliament Street, the dame day i.e. the 31.1.99.

P.N. GUPTA SECRETARY